कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, (छ0ग0)

आदेश

क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/1565/2020 बिलासपुर, दिनांक–29.03.2020

कोरोना वायरस COVID-19 का संक्रमण रोकने हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/1061/2020 बिलासपुर दिनांक– 19.03.2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(1) तथा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0/922/2020 बिलासपुर दिनांक– 22.03.2020 के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा– 144 के तहत परिशोधित आदेश पारित किया गया है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/918/वाचक/कले./2020 बिलासपुर दिनांक– 21.03.2020 के द्वारा शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक– 13.03.2020 के अन्तर्गत आदेश प्रसारित किये गये हैं। कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपुर की सीमा क्षेत्र में संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु संस्थानों के लिए आदेश जारी किये गये हैं। जिले में कई दैनिक मजदूरी में संलग्न लोगों एवं अन्य किरायेदारों द्वारा लगातार इस समस्या से अवगत कराया जा रहा है कि मकान मालिक द्वारा किराया देने हेतु बाध्य किया जा रहा है तथा नहीं देने पर मकान खाली करने हेतु परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण ये लोग अपने मकानों को छोड़कर अपने मूल स्थानों के लिए जाने को विवश हो रहे हैं। इस स्थिति से जिले में दो प्रकार की विकट स्थितियॉ उत्पन्न हो रहीं है–

1– ऐसे मजदूर/कर्मचारी जिले के विभिन्न मार्गो पर आकर अपने–अपने गृह जिलों को जाने के लिए विवश हो रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस के फैलने की सम्भावना और भी अधिक होती जा रही है।

2– ऐसे कर्मचारी/मजदूर जो आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन/वितरण से जुडे हुए हैं के अपने गृह जिले की ओर प्रस्थान करने के लिए विवश होने के कारण जहां एक ओर इन आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन/वितरण बाधित हो रहा है वहीं दूसरी ओर, यह स्थिति वर्तमान परिस्थितियों को और भी अधिक प्रभावित कर प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न कर सकती है।

उक्त परिस्थितियों की संवेदनशीलता के दृष्टिगत मै, डॉ0 संजय अलंग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से यह आदेश देता हूं कि जिला– बिलासपुर के किसी भी भवन स्वामी द्वारा जिले के किसी भी मजदूर/कर्मचारी, जो जिले की विभिन्न ईकाईयों/कम्पनियों /कार्यालयों /संस्थानों में कार्यरत हैं, या अन्य किराएदारों से आवासीय भवन के किराये की मांग एक माह तक किसी भी दशा में नहीं की जावेगी। वांछित आवासीय भवन किराया आदेश की तिथि से एक माह के उपरांत ही लिया जा सकेगा।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

यदि जिले के किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा—51 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही, सुनिश्चित की जायेगी, जिसमें एक वर्ष तक की सजा या अर्थदण्ड या दोनो हो सकता है और यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान—माल की क्षति होती है तो यह सजा दो वर्ष तक भी हो सकती है। किसी भवन स्वामी द्वारा यदि उक्त इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो, जिला कार्यालय के दूरभाष क्रमांक—07752—251000 पर सूचना दी जा सकती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ0 संजय अलंग)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर (छ0ग0)

क्रमांक / रीडर—जि0दण्डा / 1565 / 2020 बिलासपुर, दिनांक—29.03.2020

प्रतिलिपि—

1— आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2— पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3— पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर,

4— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर

5— आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर,

6— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर,

7— अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं दण्डाधिकारी, तथा Incident Commander बिलासपुर / कोटा / बिल्हा एवं मस्तुरी जिला— बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8— उप संचालक, सूचना प्रकाशन, बिलासपुर को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर (छ0ग0)

29/3

Scanned with CamScanner